डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

मि0न0 – 32/2017

उनवान : –

1. शांति पुत्री मलाराम पत्नी रमेशचंद जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा हाल निवासी तरकावाली तहसील चौपटा जिला सिरसा।

वादी

बनाम

1. मलाराम पुत्र राजू जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
2. चोखाराम पुत्र मलाराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
3. सिलोचना पत्नी लालसिंह जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
4. अन्जू पुत्री लालसिंह जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
5. रेखा पुत्री लालसिंह आयु 10 वर्ष नाबालिगान जरिये कुदरती माता सिलोचना पत्नी लालसिंह जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
6. मनीष पुत्र लालसिंह आयु 10 वर्ष नाबालिगान जरिये कुदरती माता सिलोचना पत्नी लालसिंह जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
7. मनोहरी पुत्री मलाराम पत्नी हवासिंह जाति जाट निवासी बिराण तहसील भादरा।
8. पुष्पा पुत्री मलाराम पत्नी मानसिंह जाति जाट निवासी बिराण तहसील भादरा।
9. ओबीसी बैंक शाखा निनाण जरिये शाखा प्रबंधकं
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
11. उपपंजीयक भादरा/छानीबडी तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री वीरेन्द्र बैनीवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री मुंशीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा [illegible] कि रोही मौजा 12 एएमएस के खाता सं0 59/54 के मु0 न0 22 के किला न0 1[illegible] ता 24, मु0 न0 23 किला न0 2/1, 3, 4 कुल 3.668है0 नहरी प्रतिवादी सं0 1 मलाराम [illegible] व रोही चक 15 एएमएस के खाता सं0 75/69 के मु0 न0 62 किला न0 8, 9/1, 12/[illegible] 19/1 कुल 0.861है0 जिसमें नहरी 0.848है0, गै0 मु0 रास्ता 0.013है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 मलाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में से प्रतिवादी सं0 1 मलाराम अकेले के बजाय वादीया शान्ती को 1/6 हिस्सा, व प्रतिवादी सं0 1 मलाराम को 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 चोखाराम को 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 सिलोचना पत्नी लालसिंह, प्रतिवादी सं0 4 अन्जू पुत्री लालसिंह, प्रतिवादी सं0 5 रेखा पुत्री लालसिंह, प्रतिवादी सं0 6 मनीष पुत्र लालसिंह को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 7 मनोहरी को 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 8 पुष्पा को 1/6 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/10/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:17:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

मि0न0 – 32/2017

अनवान : –

1. शांति पुत्री मलाराम पत्नी रमेशचंद जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा हाल निवासी तरकावाली तहसील चौपटा जिला सिरसा।

वादी

बनाम

1. मलाराम पुत्र राजू जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
2. चोखाराम पुत्र मलाराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
3. सिलोचना पत्नी लालसिंह जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
4. अन्जू पुत्री लालसिंह जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
5. रेखा पुत्री लालसिंह आयु 10 वर्ष नाबालिगान जरिये कुदरती माता सिलोचना पत्नी लालसिंह जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
6. मनीष पुत्र लालसिंह आयु 10 वर्ष नाबालिगान जरिये कुदरती माता सिलोचना पत्नी लालसिंह जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
7. मनोहरी पुत्री मलाराम पत्नी हवासिंह जाति जाट निवासी बिराण तहसील भादरा।
8. पुष्पा पुत्री मलाराम पत्नी मानसिंह जाति जाट निवासी बिराण तहसील भादरा।
9. ओबीसी बैंक शाखा निनाण जरिये शाखा प्रबंधकं
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
11. उपपंजीयक भादरा/छानीबडी तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री वीरेन्द्र बैनीवाल **वादी**
श्री मुंशीराम गोस्वामी **प्रतिवादीगण**

निर्णय

दिनांकः 17/10/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 12 एएमएस के खाता सं0 59/54 के मु0 न0 22 के किला न0 11 ता 14, 17 ता 24, मु0 न0 23 किला न0 2/1, 3, 4 कुल 3.668है0 नहरी प्रतिवादी सं0 1 मलाराम के नाम व रोही चक 15 एएमएस के खाता सं0 75/69 के मु0 न0 62 किला न0 8, 9/1, 12/1, 13, 19/1 कुल 0.861है0 जिसमें नहरी 0. 848है0, गै0 मु0 रास्ता 0.013है0 नहरी खातेदारी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 मलाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व [illegible] से शासित है। वाद भूमि पहले वादी के दादा राजू की खातेदारी [illegible]। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली। [illegible] वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 8 का जन्म

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:17:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

से हक हिस्सा निहित है। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1, 2, 10, 11 ने जवाबदावा पेश किया व प्रतिवादी सं0 3 ता 6 व 7, 8 कोई उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। व प्रतिवादी सं0 1 ने जवाबदावा पेश कर कथन किया कि वादभूमि मिन प्रतिवादी के नाम दर्ज है उसकी बाबत प्रतिवादी सं0 1 एवं प्रतिवादी चोखाराम व प्रतिवादी सं0 1 के पुत्र स्व0 लालसिंह के जीवनकाल में ही काल्पनिक सन 2003 में हो गया था जिसमे उक्त वादभूमि जो मिन प्रतिवादी के नाम से है व मिन प्रतिवादी व प्रतिवादी चोखाराम व लालसिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई थी तथा उसी अनुसार वादभूमि पर प्रतिवादी सं01 व प्रतिवादी चोखाराम व प्रतिवादी लालसिंह के वारिसान की कब्जा काश्त चली आ रही है।

साक्ष्य वादी में वादी शांति पुत्री मलाराम के द्वारा साक्ष्य करवाये गये। जिसमें वर्तमान जमाबंदी के साथ साथ पैतृक जमाबंदी व वारिसान प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र तस्दीक करवाये गये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि मुताबिक अनुतोष वाद वादी डीक्री किया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने
रोही मौजा 12 एएमएस के खाता सं0 59/54 के मु0 न0 22 के किला न0 11 ता 14, 17 ता
24, मु0 न0 23 किला न0 2/1, 3, 4 कुल 3.668है0 नहरी प्रतिवादी सं0 1 मलाराम के नाम व
रोही चक 15 एएमएस के खाता सं0 75/69 के मु0 न0 62 किला न0 8, 9/1, 12/1, 13,
19/1 कुल 0.861है0 जिसमें नहरी 0.848है0, गै0 मु0 रास्ता 0.013है0 नहरी खातेदारी वादभूमि
प्रतिवादी सं0 1 मलाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जो प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक
कृषि भूमि होना साबित है। जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के साथ वादीया व प्रतिवादी सं0 2 ता 8 का
जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार वाद भूमि में वादीया शान्ती का 1/6 हिस्सा, व
प्रतिवादी सं0 1 मलाराम का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 चोखाराम का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी
सं0 3 सिलोचना पत्नी लालसिंह, प्रतिवादी सं0 4 अन्जू पुत्री लालसिंह, प्रतिवादी सं0 5 रेखा पुत्री
लालसिंह, प्रतिवादी सं0 6 मनीष पुत्र लालसिंह का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं0
मनोहरी का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 8 पुष्पा का 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।
अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डीक्री योग्य होने के कारण स्वीकार योग्य होने के कारण
स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है
कि रोही मौजा 12 एएमएस के खाता सं0 59/54 के मु0 न0 22 के किला न0 11 ता 14, 17
ता 24, मु0 न0 23 किला न0 2/1, 3, 4 कुल 3.668है0 न[illegible] प्र[illegible]दी सं0 1 मलाराम के नाम
व रोही चक 15 एएमएस के खाता सं0 75/69 के मु0 न0 62 [illegible] न0 8, 9/1, 12/1, 13,
19/1 कुल 0.861है0 जिसमें नहरी 0.848है0, [illegible] खातेदारी वादभूमि
प्रतिवादी सं0 1 मलाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, [illegible] से प्रतिवादी सं0 1 मलाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:17:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अकेले के बजाय वादीया शान्ती को 1/6 हिस्सा, व प्रतिवादी सं0 1 मलाराम को 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 चोखाराम को 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 सिलोचना पत्नी लालसिंह, प्रतिवादी सं0 4 अन्जू पुत्री लालसिंह, प्रतिवादी सं0 5 रेखा पुत्री लालसिंह, प्रतिवादी सं0 6 मनीष पुत्र लालसिंह को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 7 मनोहरी को 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 8 पुष्पा को 1/6 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/10/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:17:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner